



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक : प.12(02)(157)राजस्व / 2023 /
प्रेषित

दिनांक

05-04-24

1105

श्री दिनेश पुत्र श्री महेश
केवलरमानी एस्टेट प्रा.लि.
पंजाब सिंध बैंक के ऊपर, स्टेशन रोड़,
रामनगर, पुष्कर रोड़, अजमेर

विषय- आवासीय कॉलोनी परियोजना प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का ले
आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या LC/2023-24/
161412 दिनांक 14.07.23 द्वारा आवासीय कॉलोनी परियोजना प्रयोजनार्थ संपरिवर्ति
भूमि मौजा बाडीघाटी के खसरा नम्बर 346/220 रकबा 50120 वर्गमीटर में से 49950
वर्गमीटर (नवीन खसरा नम्बर 356/346 रकबा 49950 वर्गमीटर) भूमि के ले आउट
प्लान का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ
संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 19-ख एवं 9(2) के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अध्यक्षीन
अनुमोदन किया जाता है।

1. प्रस्तावित भूमि की सड़क किला-बाडीघाटी ग्रामीण सड़क का मार्गाधिकार 80
फीट रखने हेतु उक्त सड़क के मध्य बिन्दु से 40 फीट सड़क मार्गाधिकार हेतु
छोड़ी जाने की मौके पर सुनिश्चितता की जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रस्तावित ले आउट प्लान में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत, सामुदायिक
सुविधाओं हेतु आरक्षित क्षेत्र को ले आउट प्लान में दर्शाये अनुसार यथावत रखा
जाना एवं उसी प्रयोजन हेतु विकसित करना अनिवार्य होगा।
3. राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार भूखण्डों के सैट बैक रखने होंगे तथा
प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व स्थानीय भवन उपविधियों के
अनुसार सक्षम अधिकारी से भवन मानचित्र अनुमोदन करवाना होगा।
4. आवेदित भूमि के आस पास पूर्व में अनुमोदित ले आउट प्लान की सड़कों से
निरन्तरता बनाये रखनी होगी।
5. उक्त भूमि में अथवा पास से लगती हुई भूमि में से यदि कोई गैस/तेल लाईन
गुजर रही है तो उक्त लाईन हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं
सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाये जाते हुए निर्धारित दूरी तक भूमि खुली रखे जाने
की सुनिश्चितता की जानी अनिवार्य होगी।

Signature valid

RajKaj Ref
6464196



Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2024.04.04 17:43:49 IST
Reason: Approved

6. विकासकर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बाहर की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें, बिजली, पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी।
7. ले आउट प्लान का मौके पर डिमार्केशन किये जाने के उपरान्त ही क्रियान्वयन व निष्पादन की कार्यवाही की जानी होगी।
8. संलग्न अनुमोदित मानचित्र इस आदेश का भाग माना जायेगा।
संलग्न-अनुमोदित ले आउट मानचित्र

क्रमांक सम/ 1106-09
प्रतिलिपि

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, नागौर
दिनांक 05-04-24

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, रियांबड़ी
3. अधिशाषी अभियंता (अभि), जिला परिषद (ग्राविप्र) नागौर
4. संरक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर, नागौर

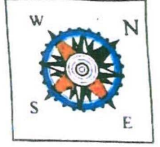
Signature valid

RajKaj Ref
6464196

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2024.04.04 17:43:49 IST
Reason: Approved

THIS MAP IS FOR CONVERSION OF AGRICULTURE LAND TO RESIDENTIAL PLOTS KHASRA NO.219 AREA=100 SQM (WELL)
(NOT TO BE CONVERTED) KHASRA NO.220 AREA=50800.00 SQM,
FOR CONVERSION FROM KHASRA NO. 220 AREA=49950.00 SQM.
PRESENTOR :- SH.DINESH KEWAL RAMANI S/O SH.MAHESH KEWAL RAMANI
SITUATED AT KILL ROAD,BADIGHATI

LAYOUT PLAN



उत्तर नगरीय
नगरपालिका (नागौर)

Layout Plan Approved
as per conditions
mentioned in letter
No. F12623 (157)
Recd (2023) 1105 dt.
05-04-24

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

Layout/Site Plan Technically Approved
as per conditions mentioned in Letter No.
AJZ/1631/2023/172 Dated 21/02/24

सहायक नगर नियोजक
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

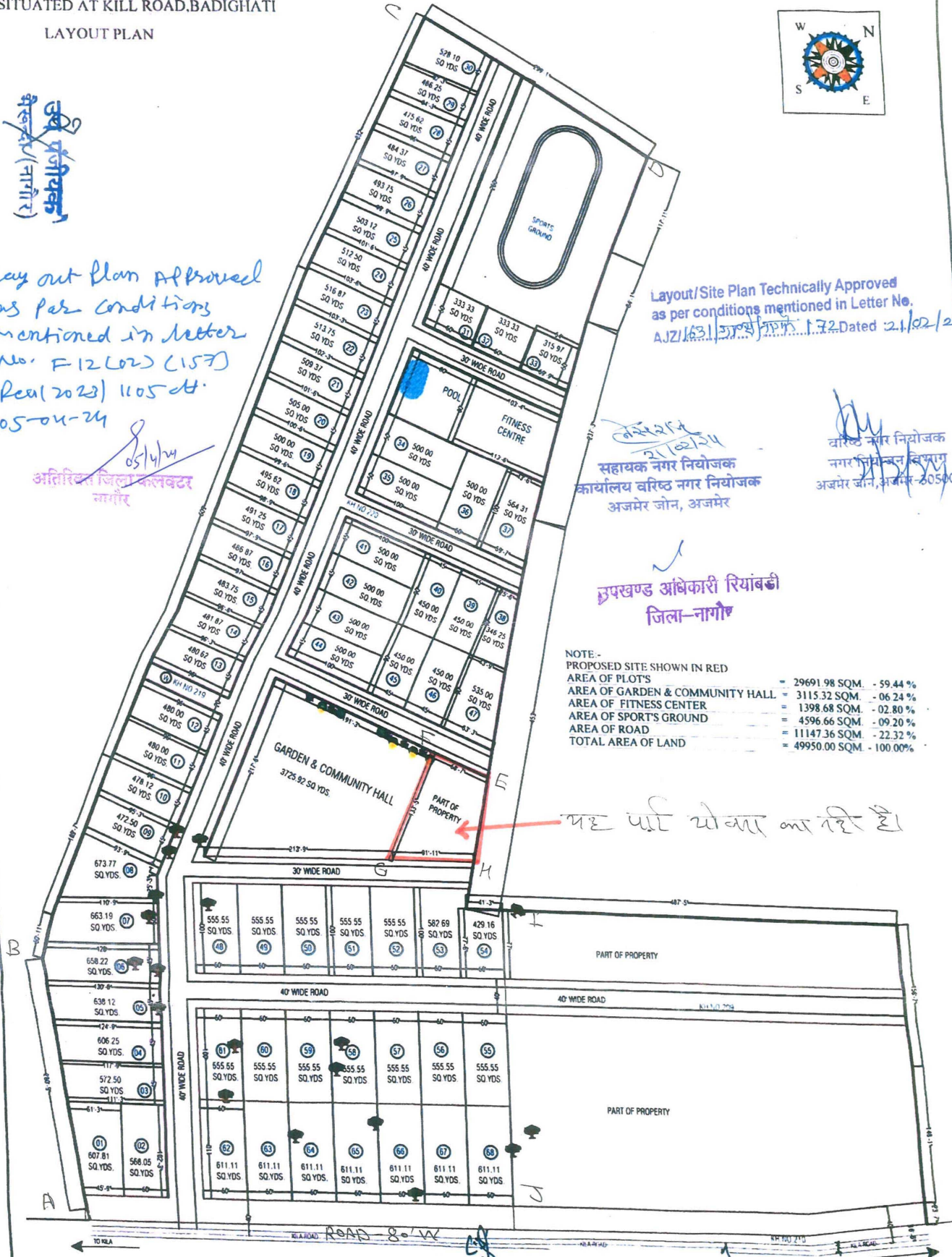
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
अजमेर जोन, अजमेर-305006

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला-नागौर

NOTE:-
PROPOSED SITE SHOWN IN RED

AREA OF PLOT'S	= 29691.98 SQM.	- 59.44 %
AREA OF GARDEN & COMMUNITY HALL	= 3115.32 SQM.	- 06.24 %
AREA OF FITNESS CENTER	= 1398.68 SQM.	- 02.80 %
AREA OF SPORT'S GROUND	= 4596.66 SQM.	- 09.20 %
AREA OF ROAD	= 11147.36 SQM.	- 22.32 %
TOTAL AREA OF LAND	= 49950.00 SQM.	- 100.00 %

यह प्लॉट घोषणा का हिस्सा है



अधिसूचना आदेशना (अ.म.)
जिला नगरपालिका (नागौर) कलक्टर

Dinesh

जोरायाम
पटवारी (प.अ.)
प.म. 440/2023/172
रियांबडी (नागौर)

तहसीलदार रियांबडी
(जिला-नागौर सभ्य)

उपजिला मजिस्ट्रेट रियांबडी
जिला-नागौर